रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 1985/चैत्र 5, 1907
NO. 140] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 1985/CHAITRA 5, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय

(टेक्सटाइल विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1985

का. आ. 228(अ) :—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आर्ट सिल्क टेक्सटाइल (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण आदेश, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1 (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आर्ट सिल्क टेक्सटाइल (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण संशोधन आदेश, 1985 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2 आर्ट सिल्क टेक्सटाइल (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण आदेश, 1962 में—

(i) खंड 3 के उपखंड (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) वस्त्र आयुक्त, निम्नलिखित के संबंध में किसी विनिर्माता, विनिर्माताओं के किसी वर्ग, या साधारणतया विनिर्माताओं को, समय-समय पर, लिखित निदेश जारी कर सकेगा—

(क) यथास्थिति, आर्टसिल्क के कपड़े या आर्ट-सिल्क के सूत के ऐसे वर्गों या विनिर्देशों के संबंध में, जिनका प्रत्येक विनिर्माता या विनिर्माताओं का वर्ग या साधारणतया विनिर्माता विनिर्माण करेंगे या नहीं करेंगे; या

(ख) यथास्थिति, आर्ट सिल्क के कपड़े या आर्ट सिल्क के सूत की ऐसी अधिकतम और न्यूनतम मात्रा के संबंध में, जो ऐसा विनिर्माता, या विनिर्माताओं का वर्ग या साधारणतया विनिर्माता, उस अवधि के दौरान जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, विनिर्माण करेंगे ।

1766 GI/84

(ग) अट्टियों, शंकुओं में या अन्य रूप में और उतने अनुपात में, जो वह आवश्यक या समीचीन समझे, आर्टसिल्क के सूत की पैकिंग के संबंध में ;

परन्तु इस उपखंड के अधीन निदेश जारी करने में, वस्त्र आयुक्त :

(i) आर्ट सिल्क के कपड़े या आर्ट सिल्क के सूत की मांग का;

(ii) जनता की आवश्यकताओं का ;

(iii) आर्ट सिल्क के ऐसे कपड़े या आर्ट सिल्क के ऐसे सूत के लिए उद्योग की विशेष अपेक्षाओं का ;

(iv) आर्ट सिल्क के कपड़े या आर्ट सिल्क के सूत के विभिन्न वर्गनों या विनिर्देशों का विनिर्माण या उन्हें पैक करने के लिए विनिर्माता या विनिर्माताओं के वर्ग, या साधारणतया विनिर्माताओं की क्षमता का ; और

(v) जन-उपयोग के जनता कपड़े को उपलब्ध कराने की आवश्यकता का,

ध्यान रखेगा ।

(2)(क) उपखंड (1) के अधीन कोई निदेश जारी करने के दौरान, वस्त्र आयुक्त, यह भी उपबंध कर सकेगा कि ऐसा निदेश, उस उपखंड में निर्दिष्ट अवधि के दौरान विनिर्माता, या विनिर्माताओं के वर्ग, या साधारणतया विनिर्माताओं द्वारा पैक की गई आर्ट सिल्क के कपड़े या आर्ट सिल्क के सूत की मात्रा के संबंध में होगा ।

(ख) प्रत्येक विनिर्माता, या विनिर्माताओं का वर्ग या साधारणतया विनिर्माता, जिन्हें कोई निदेश जारी किया गया है, निदेश का पालन करेंगे ।

(ग) जहां, किसी विनिर्माता या विनिर्माताओं के वर्ग द्वारा किए गए किसी आवेदन पर या अन्यथा, वस्त्र आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि इस खंड के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किसी निदेश से किसी ऐसे विनिर्माता या विनिर्माताओं के वर्ग को असम्यक् कष्ट या कठिनाई होती है, वहां वह, आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे विनिर्माता या विनिर्माताओं के वर्ग को निदेश लागू नहीं होंगे, या ऐसे उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।"

(ii) खंड 3ख का लोप किया जाएगा ।

[सं. 15013/1/85-ए एण्ड एम एम टी]
प्रभात कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND SUPPLY

(Department of Textiles)

ORDER

New Delhi, the 25th March, 1985

S.O. 228(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Art Silk Textiles (Production and Distribution) Control Order, 1962, namely :—

1. (1) This Order may be called the Art Silk Textiles (Production and Distribution) Control Amendment Order, 1985.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Art Silk Textiles (Production and Distribution) Control Order, 1962 :—

(i) for sub-clauses (1) and (2) of clause 3, the following shall be substituted, namely :—

"(1) The Textile Commissioner may, from time to time, issue directions in writing to any manufacturer or class of manufacturers, or manufacturers generally regarding :—

(a) the classes or specifications of artsilk cloth or artsilk yarn, as the case may be, which each manufacturer or class of manufacturers or manufacturers generally shall or shall not manufacture ; or

(b) the maximum or minimum quantities of artsilk cloth or artsilk yarn, as the case may be, which such manufacturer, or class of manufacturers or manufacturers generally shall manufacture during such period as may be specified in the order ;

(c) the packing of artsilk yarn in hanks, cones or in other form and in such proportion as he may consider necessary or expedient ;

Provided that in issuing the direction under this sub-clause the Textile Commissioner shall have regard to :—

(i) the demand for art silk cloth or art silk yarn ;

(ii) the needs of the general public ;

(iii) the special requirements of the industry for such artsilk cloth or artsilk yarn ;

(iv) the capacity of the manufacturer or class of manufacturers, or manufacturers generally, to manufacture or pack different descriptions or specifications of artsilk cloth or artsilk yarn ; and

(v) the necessity to make available to the general public cloth of mass consumption.

(2) (a) While issuing any direction under sub-clause (1), the Textile Commissioner may also provide that such direction shall be with reference to the quantity of artsilk cloth or artsilk yarn packed by the manufacturer, or class of manufacturers, or manufacturers generally during the period referred to in that sub-clause.

(b) Every manufacturer, or class of manufacturers or manufacturers generally, to whom a direction has been issued shall comply with the direction.

(c) Where, on an application made by any manufacturer or class of manufacturers or otherwise, the Textile Commissioner is satisfied that any direction issued by him under this clause cause undue hardship or difficulty to any such manufacturer or class of manufacturers he may, by order and for reasons to be recorded in writing, direct that the directions shall not apply, or shall apply subject to such modifications as may be specified in the order, to such manufacturer or class of manufacturers." ;

(ii) clause 3 B shall be omitted.

[No. 15013|1|85-A&MMT]
PRABHAT KUMAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985